भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2736

दिनांक 01 अगस्त, 2017 को उत्तर दिए जाने के लिए

.....

महाराष्ट्र में सीआईपीईटी (सिपेट) संस्थान

2736. श्री रामदास सी. तडस:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार महाराष्ट्र में प्लास्टिक इंजीनियरिंग के अध्ययन के लिए सीआईपीईटी (सिपेट) संस्थान स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या देश में लगभग दस लाख प्लास्टिक इंजीनियरों एवं टेक्नीशियनों की कमी है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार हरियाणा के पानीपत एवं करनाल में स्थित सीआईपीईटी (सिपेट) संस्थानों की तर्ज पर महाराष्ट्र के वर्धा में सिपेट संस्थान की स्थापना करने का है; और

(घ) क्या वर्धा फूड पार्क उक्त संस्थान की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

रसायन और उर्वरक, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क) वर्तमान में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपेट) का एक केन्द्र औरंगाबाद, महाराष्ट्र में कार्य कर रहा है, जो प्लास्टिक प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा एवं व्यवसायिक कौशल पाठ्यक्रमों का संचालन करता है । इसके अलावा सरकार ने 2016-17 से 2018-19 के दौरान प्लास्टिक और सहायक उद्योगों एवं कार्यान्वयन के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए महाराष्ट्र के चन्द्रपुर तथा मुंबई में दो और सिपेट केन्द्रों की स्थापना करने की मंजूरी प्रदान की है ।

जारी.....2

(ख) सरकार द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, 2015 से 2024 तक इंजीनियरों तथा टेक्नीशियनों सहित लगभग 11 लाख अतिरिक्त कुशल एवं अर्ध-कुशल जनशक्ति की आवश्यकता है । इस आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से विद्यमान 23 केन्द्रों के अतिरिक्त सिपेट के 16 नए केन्द्रों को अनुमोदित किया गया है तथा विद्यमान केन्द्रों की अवसंरचना का उन्नयन किया गया है । साथ ही, सिपेट के कौशल पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति के अनुसार राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा (एन.एस.क्यू.एफ.) के साथ मिला दिया गया है ।

(ग) वर्धा, महाराष्ट्र में सिपेट संस्थान की स्थापना करने के लिए कोई भी प्रस्ताव रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

******